“ वित्तीय जागरूकता से किसानों और कृषि–उद्यमियों का सशक्तिकरण ”

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना,
बीजहव, टॉलैण्ड बाईपास, शिमला –171001

hdp-pd-hp@gov.in | www.hds.hp.gov.in | 0177-2674935, 2674936

" वित्तीय जागरूकता से किसानों और कृषि–उद्यमियों का सशक्तिकरण "

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना का उद्देश्य " हिमाचल प्रदेश में लघु किसानों तथा कृषि उद्यमियों को सहयोग देना व चयनित बागवानी उत्पादों की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा विपणन में सुधार करना " है।

वित्तीय साक्षरता, व्यक्तिगत, परिवार व व्यावसायिक गतिविधियों के विकास और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से विकसित, नियंत्रित व विवेकपूर्ण उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। वित्तीय साक्षरता से वित्तीय समावेशन और स्थिरता एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना के लाभार्थियों को जरूरत के अनुसार ऋण और बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय संस्थानों द्वारा जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

अधिक पूंजी निवेश वाली कृषि/बागवानी तकनीकों के आने से, कृषि में धन निवेश महत्वपूर्ण हो गया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अधिक उपज वाली किस्मों का रोपण, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि उपकरणों आदि के उपयोग के लिए अधिक निवेश पूंजी की आवश्यकता होती है।

परियोजना द्वारा "क्लस्टर" में किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता प्रदान की जा रही है कि उत्कृष्ट रोपण सामग्री खरीदने, महत्वपूर्ण कृषि निवेश करने, अपनी संपत्ति और फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा उत्पाद खरीदने के लिए किसान के पास आवश्यक संसाधन होने आवश्यक हैं। साथ ही इन गतिविधियों से होने वाली आय को विवेकपूर्ण ढंग से बचाने और निवेश करने का निर्णय लेने के लिए भी जागरूकता की जा रही है।

संचित धन से धन अर्जन

वित्तीय योजना से व्यक्ति अपनी आय के स्तर को ध्यान में रखते हुए, संभावित खर्चों की पहले से योजना बनाने में सक्षम बनता है।

- बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है, क्योंकि भारत व प्रदेश सरकार की योजनाओ को व्यक्तिगत बचत बैंक खातों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है।

- भारत व राज्य सरकार द्वारा चालाई जा रही उद्यान व कृषि विभाग की उपदान योजनाएँ , जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) https://

midh.gov.in/; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेवाईएस) https://pmkys.gov.in/; मौसम आधारित फसल बीमा योजना https:// pmfby.gov.in ; किसान सम्मान निधि https://pmkisan.gov.in/ ; मनरेगा https://nrega.nic.in/ का उपदान (Subsidy) सीधा किसान के बचत खाते में जाता है।

बागवानी गतिविधियां और ऋण सुविधाएं

बैंकों द्वारा किसानों को सुगमता से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष नाबार्ड (NABARD) द्वारा इकाई लागत निर्धारित की जाती है । यह सांकेतिक प्रति इकाई लागत परियोजना निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता और बैंक निवेश योग्यता के विश्लेषण के लिए सहायक होती है।

परियोजना के अंतर्गत High Density Plantation के लिए NABARD द्वारा अनुमोदित ऋण उत्पाद व इकाई लागत (scale of finance) को बनाया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए नाबार्ड द्वारा विभिन्न फलों के लिए अनुमोदित इकाई लागत इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	फल फसल	रोपण की दूरी (मीटर)	रोपण घनत्व	लागत प्रति हेक्टेयर (रुपये)
1.	**सेब** क्लोनल रूटस्टॉक्स पर किस्में			
	MM-111/ M-793	3.5 x 3.5	816	14,77,463
	MM-106/M-7	3 x 3	1111	17,94,448
	M-9	1.5 x 2.5	2666	23,66,974
2.	नाशपाती	3 x 3	1111	12,05,496
3.	चैरी	3 x 3	1111	10,18,760
4.	गुठलीदार फल (आड़ू, प्लम, खुमानी, बादाम)	3 x 3	1111	10,18,760
5.	आम	3 x 3	1111	8,37,166
6.	लीची	3 x 3	1111	2,35,095

7.	संतरा, अंगूर और नींबू प्रजातिय फल	6 x 5	333	5,40,235
8.	किन्नू	4.5 x 4.5	493	9,00,068

कृषि बागवानी में उपयोग में लाए जाने वाले उत्पादों **(inputs)** की महंगाई दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रति इकाई लागत हर साल संशोधित की जाती हैं ।

प्रति इकाई लागत में भूमि के विकास, गड्ढों की खुदाई और भरने, खाद व उर्वरक, पौधों की कीट व बिमारियों से सुरक्षा आदि सामग्री की लागत, सिंचाई के बुनियादी ढांचे की संरचना तथा अन्य विविध खर्चों के लिए श्रम व्यय शामिल होते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य, पर्याप्त और समय पर किसानों को फसलों की खेती, कटाई के बाद के खर्च, उपज का विपणन, कृषि संपत्ति के रखरखाव, किसान परिवारों के लिए कृषि और घरों की खपत से संबंधित आवश्यक गतिविधियों के लिए, ऋण सहायता प्रदान करना है । इसमें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बैंक किसानों के हित में सरल प्रक्रिया अपनाता है । किसान क्रेडिट कार्ड से व्यक्तिगत किसान / संयुक्त उधारकर्ता, मालिक किसान व किरायेदार किसान, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)) / संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Group) आदि लाभ उठा सकते हैं।

-अल्पावधि ऋण सीमा (Short Term Loan)

केसीसी के तहत ऋण की लघु अवधि की सीमा, फसलों के लिए वित्त के पैमाने के अनुसार जिला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) द्वारा तय की जाती हैं, जिसमें खेती क्षेत्र के अंतर्गत ऋण की सीमा के साथ-साथ फसलोत्तर प्रबंधन हेतू व घरेलू खपत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 10% की वृद्धि, कृषि संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव की सीमा में 20% वृद्धि का प्रावधान है । दूसरे और आगामी वर्षों के लिए 10% की वृद्धि का प्रावधान है।

-सावधि ऋण सीमा (Term Loan Limit)

केसीसी के तहत सावधि ऋण की मात्रा, भूमि विकास, लघु सिंचाई, कृषि उपकरण और संबद्ध गतिविधियों व अगले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान अधिग्रहित की जाने वाली संपत्ति की इकाई लागत और किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होती हैं ।

केसीसी के अंतर्गत अधिकतम ऋण स्वीकार्य सीमा, अल्पावधि ऋण या 5वें वर्ष की केसीसी सीमा व उस अवधि के लिए आवश्यकता, पर आधारित होती है

कृषि–व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु सुविधा
(Agri Business Promotion Facility)
http://hds.hp.gov.in

बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने व स्थानीय कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कृषि उद्यम विकास के घटक का क्रियानव्यन किया जा रहा है।

इस घटक में कृषि बागवानी अधारित उद्योग के लिए परियोजना लागत का 30% और महिला और विशेष रूप से विकलांग आवेदकों के लिये 35% अनुदान का प्रावधान है, जिस की अधिकतम सीमा रुपये 60 लाख है।

बागवानी में सम्भावित व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र:

- आधुनिक पौधशाला की स्थापना,
- फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई,
- सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग इकाईयों के साथ शीत भंडारण
- एप्पल साइडर और चिप्स इकाई ,
- शहद उत्पादन और प्रसंस्करण इकाई,
- उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के लिए सहायक संरचना (ट्रेलिस और एंटी हैलनेट)।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (MMSY)
http://mmsy.hp.gov.in

पीएम मुद्रा लोना योजना
https://www.mudra.org.in

नेशनल एग्रीकलच इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी
https://agriinfra.dac.gov.in

फसल बीमा योजना

https://pmfby.gov.in/pdf/Revamped%20OGs_Final.pdf eudyan.hp.gov.in

पुनर्निमित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

"फल फसलों का बीमा कराएं और आय सुरक्षित करें"

"पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना" वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 रबी के मौसम से लागू है बीमा के अंतर्गत सेब, आड़ू, प्लम, आम और नींबू वर्गीय फल शामिल हैं

विभिन्न फसलों की कवरेज अवधि:

- सेब - 21 दिसंबर से 31 जुलाई तक
- प्लम - 1 मार्च से 31 मई तक
- आम - 21 दिसंबर से 30 जून तक
- आड़ू - 1 मार्च से 30 जून तक

बीमा योजना में कवर किए गए जोखिम - मौसम के खतरे, जिन्हें "प्रतिकूल मौसम घटना" का कारण माना जाता है और जिससे फसल को नुकसान होता है,

- सेब की फसल में, चिलिंग /ठंडक की आवश्यकता (21 दिसंबर से 31 मार्च तक) को भी जोखिम में कवर किया गया है।
- तापमान में उतार-चढ़ाव (16 मार्च से 7 मई तक),
- वर्षा की आवश्यकता (1 मई से 31 जुलाई तक),
- बेमौसमी/अधिक वर्षा (16 मार्च से 30 अप्रैल),
- तेज हवा की गति (1 मई से 30 जून)

ऋण/केसीसी खाते वाले ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है। हलांकि किसान सीजन में बीमा लेने की तारीख से 7 दिन पहले बीमा न लेने का निर्णय भी कर सकते हैं । जैसे सेब की फसल के लिए बीमा न लेने का निर्णय 13 दिसंबर तक ले लें ।

5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सेब, आम, नींबू वर्गीय फल, प्लम और आड़ू के पोधे फसल बीमा के अंतर्गत आते है। सेब की फसल के लिए, एक हेक्टेयर भूमि में पांच साल से अधिक उम्र के 278 पेड़ बीमा के दायरे में आते हैं|

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना,
बीजहव, टॉलैण्ड बाईपास, शिमला –171001

+91-177-2674935,
+91-177-2674936

hdp-pd-hp@gov.in

www.hds.hp.gov.in